FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बायतु

उमाराम बनाम ओमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन 111 128 RLR Act- नं. 398/2021 सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/12/21	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम जाखड़ ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/01/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
10/1/22	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय दीगर कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली इन्तजार होकर दि० 14/2/2022 को पेश हो।	
14/2/2022	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई। अन्तिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अभिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अभिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अभिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणो के खातेदारी खेत खेत में आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणो के खेत की सीमाओ पर पुरानी मेड़ एवं मणे बने हुए है जो आंधियो की वजह से बिखर गए है जिससे विप्रार्थीगणो एवं प्रार्थी के बीच खेत की सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी अपनी खेत की सीमाओ का सही ज्ञान करवाने बाबत नेवमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेवमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेवमबंदी आदेश किया जावे। अतः प्रार्थी अभिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेवमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया ~~जाकर~~ जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ भू.अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेवमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर व कमतो दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

न्याय...
क्रमांक / वाद / 2022 / 1617
प्रार्थी
उमाराम पुत्र हुकमाराम

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 1617 दिनांकः– 14/2/22

प्रार्थी	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. उमाराम पुत्र हुकमाराम जाति जाट, निवासी बायतु चिमनजी पटवार मण्डल बायतु चिमनजी तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. जोगाराम पुत्र मेहराराम वगैरा 12 जाति जाट, निवासी बायतु चिमनजी पटवार मण्डल बायतु चिमनजी तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या – 398 / 2021

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा – बायतु चिमनजी, पटवार मण्डल – बायतु चिमनजी, तहसील – बायतु के खेत खसरा नं. 470, 904 / 471, 943 / 526, 987 / 549 रकबा क्रमशः 0.1699, 3.4706, 1.2863, 3.9237 हैक्टयर व मौजा – रामसरिया पटवार हल्का – बायतु भोपजी तहसील – बायतु, जिला बाड़मेर के खेत खसरा नं. 384, 457, 533 / 457 रकबा क्रमशः 2.2086, 7.2810, 1.8688 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु

कमांक / वाद / 2022 / 1618-22 दिनांकः– 14/2/22

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1 तहसीलदार बायतु
2 पटवारी हल्का बायतु चिमनजी को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3 प्रार्थी श्री उमाराम पुत्र हुकमाराम
4 विप्रार्थी श्री जोगाराम पुत्र मेहराराम वगैरा 12
5 पुलिस थानाधिकारी बायतु

उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) बायतु